

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136) 2022/235

सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रशासन गांवों के संग
अभियान - 2021 ✓


विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम 288
जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 674
में मेरा नाम मूली 46 शाहपुरा है जबकि मेरा वास्तविक नाम
मूलीदेवी 40 भागीरथ है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-



(मूली)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम 288 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079
खाता संख्या 674 में प्रार्थी का नाम मूली 40 भागीरथ दर्ज है। जबकि मुताबिक
दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम मूलीदेवी 40 भागीरथ है। जो सशोधित
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. 288

(मूली)

पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्राथी द्वारा रा.भू.रा.अ. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्राथ
पर रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. एवं प्राथी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आ
ग्राम 288 की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 674 में प्र
नाम मूली 40 भागीरथ के बजाय मूलीदेवी 40 भागीरथ किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम 288 जमाबन्दी सम्बत् 2076-79

संख्या 674 में दर्ज प्रार्थी का नाम मूली 40 भागीरथ के स्थान पर मूलीदेवी 40 भागीरथ संश
आदेश दिये जाते हैं।



उपखण्ड अधि
प्रभारी अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/235
10/06/22